दिनांक-17 दिसम्बर, समय : 1:15 pm

मुख्य परीक्षा

प्रश्न-हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 में संशोधन का सुझाव दिया है, लेकिन इस संशोधन का सिविल सोसायटी द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस संशोधन से धमकाने, उत्पीड़न एवं हत्या जैसे अपराध रूक सकते हैं? परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

Recently, government has proposed amendments to the whistleblower protection Act 2014, by considering the national security concerns. But these amendments are being opposed by Civil Society.Do you think the proposed amendments will put a check on threats, harassment and murders. Analyze. (150 Words)

मॉडल उत्तर

दृष्टिकोण:
- भूमिका में व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के बारे में बताएं।
- पैराग्राफ बदलकर इसमें क्या प्रावधान है? के बारे में बताएं।
- फिर अगले पैराग्राफ में सिविल सोसाइटी द्वारा इसका क्यों विरोध किया जा रहा है? चर्चा करें।
- अंत में संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

उत्तर- देश में व्हिसल ब्लोअर को धमकाने, उत्पीड़ित एवं हत्या तक के कई उदाहरण विद्यमान हैं। एक दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात् सिविल संगठन में भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्य में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देने वालों की सुरक्षा हेतु 2014 में व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

प्रावधान-

- यह व्हिसल ब्लोअर की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है। जिसके अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कोई अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी व्हिसल ब्लोअर हो सकते हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी जांच के लिए सीबीआई या पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। सक्षम प्राधिकारी के पास जांच के लिए सिविल जैसी कई भी शक्तियां होगी।

सिविल सोसाइटी द्वारा विरोध-

- यह संशोधन शिकायत के क्षेत्र को सीमित करता है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ी घटना।
- पहले से ही आरटीआई अधिनियम द्वारा विभिन्न आधारों, कई सूचनाओं को जन-सामान्य की पहुंच से बाहर रखा गया है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की किसी भी स्तर पर अवहेलना नहीं की जा सकती है। फिर भी एक स्तर तक हत्या, धमकाना, उत्पीड़न जैसे मुद्दे एक हो सकते हैं।